WORKERS' ACTION CENTRE

लिव–इन केयरगिवर्स (देखरेख करने वाले व्यक्तियों) के लिए नई सुरक्षाएँ

अपने अधिकारों को जानें सीरीज

22 मार्च 2010 से प्रभावी लिव–इन केयरगिवर्स के लिए नई सुरक्षाएँ

संघीय लिव–इन केयरगिवर कार्यक्रम के माध्यम से कार्य करने वाले कई लिव–इन केयरगिवर्स ने कनाडा में रोजगार पाने के लिए शर्तीकारों, एजेंसियों या नियोक्ताओं को फीस (शुल्क) का भुगतान करने की सूचना दी है। कुछ लिव–इन केयरगिवर्स के पासपोर्ट या अन्य व्यक्तिगत संपत्ति को शर्तीकार या नियोक्ता ने ले लिया।

भर्ती की फीस अब अवैध हैं

भर्तीकारों या भर्ती एजेंसियों के लिए लिव–इन केयरगिवर्स से काम की तलाश करने के लिए भर्ती या नियोजन शुल्क माँगना अवैध है। काम की तलाश से संबंधित अन्य सेवाओं के लिये आपसे शुल्क माँगना भी अवैध है (उदाहरण के लिये, शैक्षिक या कार्यानुभव लेखन (resume writing) या प्रवास संबंधी सेवाएँ (immigration services)। नियोक्ताओं के लिए शर्ती फीस के रूप में लिव–इन केयरगिवर्स से शुल्क माँगना भी अवैध है। नियोक्ता अपने द्वारा भर्ती एजेंसी को भुगतान की गई फीस की माँग आपसे नहीं कर सकते हैं।

नियोक्ता या भर्तीकार आपका पासपोर्ट या अन्य संपत्ति नहीं रख सकते हैं

नियोक्ता या भर्तीकार के लिए लिव–इन केयरगिवर्स की संपत्ति, दस्तावेज जिस में पासपोर्ट या स्वास्थ्य संबंधी कार्ड शामिल हैं,पर अधिकार करना अवैध है।

एक नियोक्ता के द्वारा आपके द्वारा अपने अधिकारों को लागू किये जाने के लिए आपको दंडित करना अवैध है

यदि लिव–इन केयरगिवर्स यह महसूस करते हैं कि किसी नियोक्ता या भर्तीकार ने एक अवैध शुल्क की माँग की है, या उनकी व्यक्तिगत संपत्ति को अबैध रूप से कब्जा कर रखा है तो वह श्रम मंत्रालय में एक शिकायत दर्ज कर सकता है। कानून के अन्तर्गत किसी नियोक्ता या भर्तीकार के द्वारा शिकायत दर्ज करने या इस कानून के अन्तर्गत अपने अधिकारों को लागू कराने की कोशिश करने के लिए आपको दंडित करना अवैध है।

अपनी रक्षा करें

लिव–इन केयरगिवर की नौकरी प्राप्त करने के लिए एक भर्ती एजेंसी द्वारा मुझसे शुल्क माँगा गया। मुझे क्या करना चाहिए?

- सबूत इकट्ठा करें। भर्ती एजेंसी से प्राप्त सभी दस्तावेजों को अपने पास रखें, जैसे कि कोई भी लिखित समझौता या संविदाएँ। अपने द्वारा फीस की भुगतान किये जाने के प्रमाण रखें, जैसे कि चेक, रूपया स्थानान्तरण या बैंक विवरण की प्रतियाँ।
- भर्तीकार को आपकी बकाये राशि का भुगतान करने के लिये एक पत्र लिखें। भर्तीकार को एक समय–सीमा दें। पत्र कैसे लिखा जाए, इसके बारे में विचार जानने के लिए नीचे सूचीबद्ध संगठनों से सहायता प्राप्त करें।
- श्रम मंत्रालय में शिकायत करें। आप फीस माँगे जाने के 3.5 वर्ष बाद तक श्रम मंत्रालय में शिकायत कर सकते हैं। आप श्रम मंत्रालय के सूचना संबंधी दूरभाष सं. 1–800–531–5551 के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

मैं इस समय शिकायत दर्ज करने में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूँ। क्या मैं उस समय तक इंतज़ार कर सकता हूँ जब तक मैंने 24 महीने की आवश्यकता को पूरा नहीं कर लिया है और स्थायी निवास के हैसियत के लिए आवेदन कर लिया है?

- हाँ, आप प्रतीक्षा कर सकते हैं। एक भर्तीकार या नियोक्ता के विरुद्ध अवैध फीस के लिए श्रम मंत्रालय में शिकायत करने के लिए आपके पास 3.5 वर्ष हैं। अपने पास प्रमाण सुनिश्चित करने के लिए सभी दस्तावेजों की प्रतियाँ रखें।
- शिकायत दर्ज करने या अपने अधिकारों के बारे में बात करने के लिए एक भर्तीकार या नियोक्ता द्वारा आपको दंडित करना या नौकरी से बरखास्त करना अवैध है – लेकिन जब कर्मचारी आवाज उठाते हैं तो अनेक कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। यदि आप इस समय कार्यवाही करने में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं तो योजना बनाने के लिए सहायता प्राप्त करें।
- याद रखें, यदि आपकी अदत्त मजदूरी या समयोपरि वेतन बकाया है, तो राशि के बकाया होने के 6 महीने के भीतर आपको श्रम मंत्रालय में एक अलग रोजगार मानक शिकायत करनी चाहिए। किसी भी बकाया मजदूरी की गणना करने और योजना बनाने में मदद करने के लिए वर्कर्स ऐक्शन सेंटर से संपर्क करें।

मेरे नियोक्ता ने मेरा पासपोर्ट रखा हुआ है। मैं क्या कर सकता हूँ?

- योजना बनाने के लिए सहायता प्राप्त करें। नीचे लिखित किसी एक संगठन से संपर्क करें।
- यदि आप सुरक्षित महसूस करते हैं, तो अपने नियोक्ता को पासपोर्ट लौटाने के लिए कहें। नियोक्ता को एक पत्र लिखें और अपने अनुरोध के प्रमाण के रूप में एक प्रति रखें।
- आप श्रम मंत्रालय के सूचना संबंधी दूरभाष सं. 1–800–531–5551 के माध्यम से शिकायत दर्ज करने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

यदि आपने अपनी नौकरी छोड़ दी है और अकेले अपने नियोक्ता के पास जाने में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, तो अपने सामान को इकट्ठा करने के लिए आप किसी मित्र या सहायता करने वाले व्यक्ति को अपने साथ जाने के लिये कह सकते हैं। आप अपने दोस्त या समर्थक के साथ पुलिस से भी अपने साथ जाने के लिए मदद माँग सकते हैं।

मैंने 22 मार्च, 2010 से पहले भर्तीकार को एक शुल्क का भुगतान किया। क्या मुझे कोई अधिकार है?

- दुर्भाग्य से नई सुरक्षा केवल 22 मार्च, 2010 से ही लागू होती हैं। इस तिथि से पहले भर्तीकार या नियोक्ताओं के लिए केयरगिवर्स (देखरेख करने वाले व्यक्तियों) से शुल्क माँगना अवैध नहीं था।
- नीचे सूचीबद्ध संगठनों में से किसी एक के साथ संपर्क करें।संभव है कि हम आपकी फीस लौटाये जाने में अब भी आपकी सहायता करने में समर्थ हों।

सहायता प्राप्त करें

Workers' Action Centre - वर्कर्स ऐक्शन सेंटर
416-531-0778 या www.workersactioncentre.org
सभी कॉल गोपनीय हैं।

Caregivers' Action Centre - केयरगिवर्स कार्य केंद्र
cac_support@hotmail.com या कॉल करें c/o WAC 416-531-0778

Caregivers Connections Education & Support Organization - केयरगिवर्स कनेक्सन्स एजुकेशन ऐंड सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन
(416) 656-5778 य caregiverconnections.tumblr.com

Ministry of Labour - श्रम मंत्रालय टोल फ्री
Toll Free 1-800-531-5551 य www.labour.gov.on.ca

416-531-0778 | info@workersactioncentre.org
www.workersactioncentre.org

Funded by
Financée par Citizenship and Immigration Canada Citoyenneté et Immigration Canada Canada

स्रोत: ओन्टारियो श्रम मंत्रालय । इस फैक्टशीट में केवल आम जानकारी ही शामिल है। और अधिक जानकारी के लिए आप श्रम मंत्रालय से संपर्क करें।

Live-in Caregivers - April 2010 - Hindi